



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232711
CG-DL-E-18012022-232711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]
No. 230]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

गृह मंत्रालय

(संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 234(अ).—केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की बाबत निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र (केंद्रीय विधि, राज्य विधियों और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकूलन) आदेश, 2022 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के निर्वचन के लिए लागू होता है।
- इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से ही, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और विनियमों को, जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा निरसित या संशोधित नहीं किया जाए, इस आदेश से संलग्न अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्ययन, प्रभावी होगा या यदि इस प्रकार निदेशित किया जाए तो यह निरसित हो जाएगा।
- जहां इस आदेश में यह अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम या विनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या किसी भाग में कतिपय शब्दों के लिए कतिपय अन्य शब्द रखे जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा, वहां ऐसा

प्रतिस्थापन या लोप, जैसा भी मामला हो, उसके सिवाय जहां इसके लिए अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित है, किया जाएगा, जहां कहीं निर्दिष्ट शब्द उस धारा या भाग में आते हैं।

5. इस आदेश के उपबंध, जो किसी राज्य विधि या किसी विनियम को अनुकूलित या उपांतरित या निरसित करते हैं ताकि उस रीति, जिसमें प्राधिकरण, जिसके द्वारा या विधि, जिसके अधीन या जिसके अनुसार, कोई शक्तियां प्रयोग किए जाने योग्य हैं, को परिवर्तित किया जा सके, किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, जब्ती, उप-विधि, नियम या विनियम, जो सम्यक रूप से बनाया गया है या जारी किया गया है या तारीख 26 जनवरी, 2020 से पूर्व सम्यक रूप से किए गए किसी कार्य को अमान्य नहीं करेंगे; तथा किसी ऐसी अधिसूचना, आदेश प्रतिबद्धता, जब्ती, उप-विधि, नियम, विनियम या किसी अन्य चीज का प्रतिसंहरण, परिवर्तन या निरसन समान रीति में, समान विस्तार तक और समान परिस्थितियों में किया जा सकेगा, मानो यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार, इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् बनाया गया था, जारी किया गया था या किया गया था।

6. (1) अधिनियम या विनियम की किसी धारा या उपबंध के लोप या संशोधन या इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि के निरसन से निम्नलिखित प्रभावित नहीं होगा —

- क) इस प्रकार लोप या संशोधित या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध या विनियम या विधि या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या प्रतिकूल रूप से प्रभावित किसी चीज का पूर्ववर्ती प्रचालन;
- ख) इस प्रकार लोप या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता;
- ग) इस प्रकार लोप या निरसित की गई किसी ऐसी धारा या उपबंध के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; या
- घ) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 या यह आदेश प्रवृत्त नहीं हुआ था।

(2) उप-पैरा (1) में अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन, किसी ऐसी विधि या विनियमों के अधीन की गई कोई चीज या कोई कार्रवाई (की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित उप-विधि या स्कीम, प्राप्त प्रमाण-पत्र, दिया गया अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञप्ति या प्रभावी रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार सहित) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर अब विस्तारित और लागू विधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में अब विस्तारित विधियों के अधीन की गई किसी चीज या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित नहीं किया गया हो।

अनुसूची

(पैरा 3 देखें)

राज्य विधि

1 (क)। मुम्बई होम गार्ड्स अधिनियम, 1947 (1947 का 3)

[तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमण और दीव के लिए यथा-प्रयोज्य]।

समग्र रूप से निरसित करें।

1 (ख)। मुम्बई होम गार्ड्स अधिनियम, 1947

(1947 का 3)

(तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली के लिए यथा-विस्तारित)

1. मूल अधिनियम में, वृहत नाम में, धारा 1 की उप-धारा (2) में, धारा 1क में, धारा 2 की उप-धारा (1) और उपधारा (3) में और धारा 4 की उप-धारा (2) में, "हवेली" शब्द जहां कहीं भी आता है, के पश्चात् "और दमण और दीव" अंतःस्थापित करें।

2. प्रस्तावना में, "मुम्बई राज्य" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

3. धारा 2 - उप-धारा (1) में, "संपत्ति" के पश्चात् "आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण" अंतःस्थापित करें।

4. धारा 6क - उप-धारा (2) में, "1898 (1898 का 5)" के स्थान पर "1973 (1974 का 2)" रखें।

5. धारा 6ख-

(i) उप-धारा (1) में, "पचास" के स्थान पर "एक हजार" रखें;

(ii) उप-धारा (6) में, "1898 (1898 का 5)" के स्थान पर "1973 (1974 का 2)" रखें।

6. धारा 7 -

(i) उप-धारा (1) में, "दो सौ पचास" के स्थान पर "पांच हजार" रखें;

(ii) उप-धारा (1क) में, "एक सौ" के स्थान पर "दो हजार" रखें।

2 (क) गोवा, दमण और दीव सिविल न्यायालय अधिनियम, 1965 (1965 का 19)

समग्र रूप से निरसित करें।

2(ख) दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1963

(1963 का 8)

1. मूल विनियम में, वृहत नाम के, प्रस्तावना के, संक्षिप्त नाम में, धारा 1 की उप-धारा (2) में, धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 5 की उप-धारा (4) में और धारा 12 में, "हवेली" जहां कहीं भी आता है, के पश्चात्, "और दमण और दीव" अंतःस्थापित करें।

2. धारा 11. - उप-धारा (1) में, "नव वर्ष का दिन, गुड फ्राइडे और क्रिसमस दिवस" का लोप करें।

3. गोवा, दमण और दीव नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1969

(1970 का 3)

1. मूल अधिनियम के, वृहत नाम के, प्रस्तावना में, संक्षिप्त नाम और धारा 1 की उप-धारा (2) में, "गोवा" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली और" रखें।

2. धारा 2. - खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(1) 'उच्च न्यायालय' से बम्बई उच्च न्यायालय अभिप्रेत है,

(2) 'सरकार' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।"

3. धारा 13.—उप-धारा (2) का लोप करें और उप-धारा (1) को धारा 13 के रूप में पुनः संख्यांकित करें।

4(क) भारतीय मात्स्यिकी अधिनियम, 1897 (1897 का 4)

समग्र रूप से निरसित करें।

4 (ख). भारतीय मात्स्यिकी (गोवा, दमण और दीव संशोधन संख्या 1) अधिनियम, 1970

(1970 का 11)।

समग्र रूप से निरसित करें।

4 (ग) केरल अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि अधिनियम, 2010

(2010 का 15)

1. मूल अधिनियम में, वृहत्त नाम में "2010" के पश्चात् "संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव में उपांतरण के साथ यथा-अनुकूलित" अंतःस्थापित करें।

2. पूरे मूल अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र" और "केरल" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव" रखें।

3. धारा 2.-

(i) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(तक) 'सरकार' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में दादरा और नागर

हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है";

(ii) खंड (न) में, "केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 4 या केरल नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 20) की धारा 4 के अधीन गठित नगरपालिका" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012 या दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव नगर पालिका परिषद विनियमन, 2004 के अधीन गठित नगर पालिका" रखें;

(iii) खंड (भ) में, "केरल नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 218 या केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 208 (क) के अधीन" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव नगर पालिका परिषद विनियमन, 2004 तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियमन, 2012" रखें।

4. धारा 25 - "परंतुक" का लोप करें।

5. धारा 41.-

(1) उपधारा (2) में, -

(i) खंड (क) में, "मत्स्य पालन मंत्री" के स्थान पर "प्रशासक के सलाहकार" रखें;

(ii) खंड (ख) में, "विधान सभा के तीन सदस्य, जिनमें एक महिला होगी" के स्थान पर "संसद के दो सदस्य" रखें;

(iii) खंड (ज) में, "केरल राज्य" का लोप करें।

(2) उप-धारा (3) में, "विधान सभा" के स्थान पर "संसद" से और "मत्स्यपालन विभाग के प्रभारी मंत्री" के स्थान पर "प्रशासक के सलाहकार" रखें।

6. धारा 44. — उपधारा (2) का लोप करें और उपधारा (1) को धारा 44 के रूप में पुनः संख्यांकित करें।

7. धारा 46. - धारा 46 का लोप करें।

5. गोवा, दमण और दीव आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1976

(1976 का 16)

1. मूल अधिनियम के, वृहत नाम के, संक्षिप्त नाम में, धारा 1 की उप-धारा (2) में, धारा 7 की उप-धारा (1) के परंतुक, उप-धारा (1), उप-धारा (2) परंतुक और धारा 8 की उप-धारा (3) और धारा 14 की उप-धारा (1) में "गोवा" जहाँ कहीं भी आता है, के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली और" रखें।

2. धारा 2. -

(i) खंड (ग) में, "1968" के पश्चात् "और दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियमन, 1971 की धारा 3" अंतःस्थापित करें;

(ii) खंड (घ) में, "गोवा जिला, गोवा के जिला मजिस्ट्रेट, या दमण या दीव जिले के संबंध में" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली, दमण या दीव जिले, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या" रखें;

(iii) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ड.) "सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।

3. धारा 17. - खंड (घ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में, "सौ" के स्थान पर "हजार" रखें।

4. धारा 20. - खंड (ख) में, "एक" के स्थान पर "दस" रखें।

5. धारा 21. - "सौ" के स्थान पर "हजार" रखें।

6. धारा 25.

(i) उप-धारा (3) में, "सौ" के स्थान पर "हजार" रखें;

(ii) उपधारा (4) का लोप करें।

7. धारा 26. -

(i) उपधारा (2) का लोप करें। (ii) उप-धारा (1) के स्थान पर, उप-धारा (1) को धारा 26 के रूप में पुनः संख्यांकित करें।

(iii) धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा-

(क) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम का पूर्व संचालन या उसके अधीन विधिवत किया गया या होने दिया गया;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन, अर्जित उद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में लगाया गया कोई जुर्माना, की गई जब्ती या दिया गया दंड;

(घ) उपर्युक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार;

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या लागू किया जा सकेगा और ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकेगा जैसे कि मूल अधिनियम पारित नहीं किया गया था:

परंतु यह और कि, पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन, इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई (आदेश या बनाए गए नियम, जारी किए गए नोटिस और स्थापित या अनुमोदित समझौते सहित), जहां तक यह मूल अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, मूल अधिनियम के तत्स्थायी उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा, और तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि मूल अधिनियम के अधीन किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई से अधिक्रमण न किया जाए।

6(क) पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1976

(1976 का 21)

[तत्कालीन दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथा-प्रयोज्य]।

समग्र रूप से निरसित करें।

6(ख) पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1976

(1976 का 21)

(तत्कालीन दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथा-प्रयोज्य)

1. मूल अधिनियम में, वृहत्त नाम में, धारा 1 की उप-धारा (2) और धारा 2 के खंड (क) में, "हवेली" जहां कहीं भी आता है, के पश्चात् "और दमण और दीव" अंतःस्थापित करें।

2. धारा 2. -

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"संपत्ति" में विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय कोई भवन, झोपड़ी, संस्मारक, मूर्ति, पानी की पाइप लाइन, सार्वजनिक सड़क, संरचना, चारदीवारी सहित दीवार, पेड़, बाड़, पोस्ट, खंभा या कोई अन्य निर्माण शामिल है";

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(खख) 'सार्वजनिक दृश्य' से कोई ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो जनता को दृश्यमान हो, जब वह किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं या गुजरते हैं।"

3. धारा 3.—उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"जो कोई सार्वजनिक दृष्टि से किसी संपत्ति को विरूपित करता है या थूकता है या पेशाब करता है या पैम्फलेट, पोस्टर चिपकाता है या स्याही, चाक, पेंट या किसी अन्य सामग्री या विधि से कुछ लिखता है या अंकित करता है जिसमें ऐसी संपत्ति के मालिक या कब्जाधारक का नाम और पता इंगित करने के उद्देश्य से किया गया कार्य शामिल नहीं है, उसे छः माह के कारावास से या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक जुर्माना तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

4. धारा 5क का अंतःस्थापन — धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्षतिपूर्ति। "5क. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक या लोकहित में किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।"

7(क) गोवा, दमण और दीव वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1984**(1984 का 6)****[तत्कालीन दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथा-प्रयोज्य]**

समग्र रूप से निरसित करें।

7 (ख) गोवा, दमण और दीव वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1984 (1984 का 6)**[तत्कालीन दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए यथा-प्रयोज्य]**

1. मूल अधिनियम में, वृहत नाम के, प्रस्तावना में, संक्षिप्त नाम में, धारा 1 की उप-धारा (2) में, धारा 2 के खंड (ग) में और धारा 3 की उप-धारा (1) में, "गोवा" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली और" रखें।

2. धारा 2. -

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(खख) "वाणिज्यिक वृक्षारोपण" से निजी गैर-वन भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजन से उगाए गए वृक्षारोपण अभिप्रेत है";

(ii) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड) "सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक की अध्यक्षता में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है";

(iii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(ज) "वृक्ष" से कोई ऐसा पादप अभिप्रेत है, जिसके तने पर शाखाएं निकलती हैं और तन पर टिकती हैं, जिसके तने या तन का व्यास साठे पांच सेंटीमीटर से कम न हो और भूतल से उसकी ऊंचाई एक मीटर से कम न हो और इसमें नारियल, बांस, स्टंप ब्रशवुड, बेंत और ऐसे पेड़ के पौधे शामिल हैं।"

3. धारा 3. - उप-धारा (2) के खंड (iii) में, "विधान सभा" के स्थान पर "जिला पंचायत" को रखा जाएगा।

4. धारा 5. - "सहायक" के स्थान पर "उप" को रखा जाएगा।

5. धारा 7क का अंतःस्थापन — धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

राजकीय वृक्ष की घोषणा। "7क सरकार पारिस्थितिक, सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा धरोहर के महत्व को ध्यान में रखते हुए किसी वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित कर सकती है।"

6. धारा 8क का अंतःस्थापन— धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

नारियल ताड़ को हटाना। "8क कोई व्यक्ति जो पुराने, टूट नारियल के ताड़ को हटा कर उसकी जगह नए नारियल के ताड़ को लगाने, अथवा ऐसे नारियल के ताड़ को हटाने का इच्छुक है जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है, तो उस क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले कृषि अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो ऐसी रीति से उसका निपटान करेगा जो विहित की जाए।"

7. धारा 9. —

(i) उप-धारा (1) में, "1.85" के स्थान पर "1" शब्द रखा जाए.;

(ii) उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रखी जाए, अर्थात्:—

(5) "इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक अनुमति ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जिसमें पेड़ काटने का शुल्क लेना और क्षेत्र के पुनर्जनन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा जमा लेना और पेड़ों का पुनः रोपण या अन्यथा, जैसा कि निर्धारित किया गया है, शामिल है।"

8. धारा 10 — धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाए, अर्थात्:—

पेड़ लगाने का
दायित्व।

“10 प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (अ) में निर्दिष्ट किसी पेड़ को गिराने या नष्ट करने की अनुमति दी गई है, वह उस क्षेत्र में जहां उसके द्वारा इस तरह की अनुमति के तहत पेड़ गिराया या नष्ट किया गया है, वहां उतनी ही संख्या में और उसी तरह के पेड़ लगाने या फिर से लगाने के लिए बाध्य होगा, जैसा कि वृक्ष अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए:”।

9. धारा 12क अंतःस्थापित करना-धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

ऐसे पेड़ों आदि को
हटाना, जो जर्जर
अवस्था में हैं या जो
गिर सकते हैं।

“12क (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वृक्ष अधिकारी अथवा डिप्टी कलेक्टर के लिए यह उचित होगा, कि यदि उन्हें किसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भूमि पर नारियल के पेड़ सहित कोई वृक्ष या उसकी शाखा या उसका कोई हिस्सा जर्जर स्थिति में है या ऐसी स्थिति में है कि उसके गिरने की संभावना है और जिससे पास-पड़ोस में रहने वाले अथवा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति या राहगीर को चोट लग सकती है या भवन या घर या किसी सार्वजनिक स्थान पर हानि हो सकती है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे पेड़ के मालिक से इस प्रकार के पेड़ या पेड़ के हिस्से को हटाने या काटने को कह सकता है, जो ऐसी स्थिति में है कि जिसके गिरने की संभावना है और जिससे पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या पास से गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट लग सकती है:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि भूमि के स्वामी या अधिभोगी को मामले में व्यक्तिगत रूप से या उसके अभिकर्ता के माध्यम से अपनी आपत्तियों के लिए सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह और कि जहां वृक्ष अधिकारी अथवा वृक्ष अधिकारी के परामर्श से डिप्टी कलेक्टर की यह राय है कि पेड़ या उसके किसी भाग के गिरने की संभावना है और जिससे व्यक्तियों को चोट या खतरा हो सकता है और बहुधा खतरे की संभावना है और आपत्ति दर्ज करने का अवसर प्रदान करना उपयुक्त नहीं है, तो वह कारण बताते हुए लिखित रूप में, ऐसे पेड़ के मालिक या रखने वाले व्यक्ति को ऐसे पेड़ या उसके किसी हिस्से को तुरंत या आदेश में दिए गए समय के भीतर काटने या हटाने का निर्देश देने के लिए आदेश जारी कर सकता है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो वृक्ष अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, इसे हटाने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी किए जाने वाले प्रत्येक आदेश को विधिवत तामील किया गया माना जाएगा, -

(i) जहां व्यक्ति घर में निवास करता है, तो उसके निवास स्थान पर तामील कराई जाए या कंपनी के मामले में यदि आदेश कंपनी के नाम से है, तो उसके पंजीकृत कार्यालय में या उसके प्रधान कार्यालय या व्यवसाय स्थल पर अथवा अन्यथा तामील करायी जाए -

(क) पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाए; या

(ख) उसके पंजीकृत कार्यालय या उसके प्रधान कार्यालय या व्यवसाय स्थल पर भेजा जाए; या

(ग) उसे दिया या सौंपा गया है; या

(घ) यदि ऐसे व्यक्ति को तलाशा नहीं जा सकता है, तो उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या कार्यस्थल के सहज दृश्य भाग पर चस्पा किया जाता है या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया या उससे संबंधित भवन या पेड़ या बिल्डिंग, यदि कोई हो, के किसी सहज दृश्य भाग पर चस्पा किया जाता है,

(3) यदि कोई उप-धारा (1) के अधीन जारी किसी निर्देश का पालन उक्त आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में विफल रहता है, इस संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त वृक्ष अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर ऐसे पेड़ या उसके किसी हिस्से को काटने या हटाने के लिए सभी उचित

कदम उठाएंगे जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति में बाधा या परेशानी होने की संभावना हो, उसे हटाने के लिए लगने वाली शुल्क का वहन जमीन या पेड़ के मालिक द्वारा किया जा जाएगा और इसपर होने वाले सभी व्यय गोवा, दमण एवं दीव भूमि राजस्व संहिता, 1968 (1969 का 9) या दादरा और नागर हवेली भूमि राजस्व प्रशासन विनियमन, 1971 और उसके अधीन बनाए गए नियमों जैसा भी मामला हो, के अधीन भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।"

10. धारा 15 —

(i) उप-धारा (1) में, "अधिकारी" के पश्चात् "या डिप्टी कलेक्टर, जैसा भी मामला हो" और "और 12" के स्थान पर "12 और 12 क" अंतःस्थापित की जाएगी;

(ii) उप-धारा (2) में, "दस रुपए का" के स्थान पर "समय-समय पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 22 — उप-धारा (1) के खंड (क) के उप खंड (i) में, "दस" के स्थान पर "पच्चीस" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. धारा 25 — उप-धारा (1) में, "हजार" के स्थान पर "लाख" अंतःस्थापित किया जाएगा।

13. धारा 32क का अंतःस्थापन— धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

वाणिज्यिक	"32क सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं
वृक्षारोपण के संबंध	दीव संघ राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक वृक्षारोपण के नियम और शर्त निर्दिष्ट कर सकती है
में सरकार की	और ऐसे क्षेत्रों को इस अधिनियम के प्रावधान से छूट दे सकती है।"
शक्तियां	

14. धारा 34. धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

गिरी हुई सामग्री का	"34 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केंद्रीय अधिनियम 16) की धारा 41
अभिवहन।	और 42 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन काटे गए पेड़ों के अभिवहन पर लागू होंगे।"

15. धारा 35क और 35ख का अंतःस्थापन करना — धारा 35 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

वृक्ष संरक्षण निधि का	"35क(1) एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे वृक्ष संरक्षण कोष कहा जाएगा और इसमें
गठन।	निम्नलिखित राशि का भुगतान किया जाएगा और वह कोष का हिस्सा होगा, अर्थात्: -

- (i) सभी सरकारी अनुदान, कंपनी या संस्थानों से दान, वृक्ष अधिकारी को प्राप्त फीस, प्रभार;
- (ii) वृक्ष की बिक्री यदि कोई हो, से वृक्ष अधिकारी को प्राप्त सभी आय;
- (iii) सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ऐसे अन्य स्रोतों से वृक्ष अधिकारी द्वारा एकत्रित पूरी धनराशि।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में धारा 12क के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले वृक्ष अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर द्वारा किए गए सभी खर्चों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।

लेखा और लेखा
परीक्षा।

35ख (1) इस अधिनियम की धारा 12क के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले वृक्ष अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर लेखा संबंधी और अन्य संबंधित रिकॉर्ड तैयार करेंगे और लेखा निदेशक, दादरा और नागर हवेली और दमण एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से खाते का वार्षिक विवरण सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार करेंगे। इस धारा के तहत तैयार किए गए खाते का लेखा निदेशालय, दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अंतराल पर संपरीक्षित किया जाएगा और इस तरह की संपरीक्षा के संबंध में किए गए किसी भी खर्च का भुगतान धारा 35क के अधीन सृजित निधि से वृक्ष अधिकारी द्वारा लेखा निदेशालय को देय होगा।

(2) लेखा निदेशालय या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा-

प्रमाणित वृक्ष संरक्षण निधि का लेखा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, सरकार को प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाएगा।"

8. मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985

(1986 का 1)

(तत्कालीन दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रके लिए यथा-प्रयोज्य)

1. मूल अधिनियम में, वृहत नाम में "1986)" के पश्चात् "दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र में संशोधन के साथ अनुकूलित" अंतःस्थापित किया जाए।
2. मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, "मध्य प्रदेश राज्य" के स्थान पर "दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र" रखा जाए।
3. धारा 1— उप-धारा (2) में, "हवेली" के पश्चात् "दमण एवं दीव" अंतःस्थापित किया जाए।
4. धारा 2.-धारा 2 के खंड (क) "हवेली" के पश्चात् "तथा दमण और दीव" रखें।
5. धारा -11.-उपधारा (1) में, "संशोधन की आवश्यकता नहीं"।
6. धारा 14.-धारा 14 के स्थान पर रखें.—
अपराध का संज्ञेय "14. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट होना किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा"
7. धारा 15.- उपधारा (1) में "एक" के स्थान पर "पांच" रखें।
8. धारा 16.- उपधारा (3) में "पाच सौ" के स्थान पर "दो हजार" रखें।

9(क). गुजरात समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1985

(1985 का 16)

(तत्कालीन दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को यथा लागू)

पूर्णरूप से निरसित

9(ख). गुजरात समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1985

(1985 का 16)

(तत्कालीन दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र तक यथा विस्तृत)

1. मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्ष में, धारा 1 की उपधारा (2) में, धारा 2 के खंड (क) में, धारा 4 में, धारा 5 के खंड (ख), में धारा 7 के खंड (क) और खंड (ख) में, धारा 8 की उपधारा (1) में और धारा 18 में, "हवेली" के पश्चात्, जहां वे आते हैं "तथा दमण और दीव" रखें।
2. उद्देशिका में.-
(i) "निवारण" के स्थान पर "निवारक" रखें।
(ii) "बूटलैगर्स" के पश्चात् "सामान्य गैमिंग हाउसकीपर, क्रूर व्यक्ति" अंतःस्थापित करें।
(iii) "अनैतिक व्यापार अपराधी और संपत्ति हथियाने वाला" के स्थान पर "अनैतिक व्यापार अपराधी, संपत्ति हथियाने वाला, साइबर अपराधी, धनशोधन अपराधी और लैंगिक अपराधी" रखें।
3. उपधारा 2.- खंड (ख) में,
(i) "दादरा और नागर हवेली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1969 (1969 का 2)" के पश्चात् "दादरा और नागर हवेली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 (1964 का 5)" अंतःस्थापित करें।
(ii) खंड (ख) के पश्चात् अंतःस्थापित करें.-

"(खख) 'सामान्य गैमिंग गृह स्वामी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में यथा लागू जुआ निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है या उत्प्रेरण करता है;"

(iii) खंड (खख) के पश्चात् अंतः स्थापित करें:-

"(खखख) 'कूर व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो स्वयं या किसी दल के सदस्य या नेता के रूप में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में यथा लागू पशु संरक्षण अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध आभ्यासिक रूप से कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है अथवा उत्प्रेरण करता है;"

(iv) खंड (खखख) के पश्चात् अंतः स्थापित करें:-

"(खखखख) 'साइबर अपराधी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अध्याय 11 के अधीन अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है अथवा उत्प्रेरण करता है;"

(v) खंड (ग) में भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 16 या अध्याय 17" के स्थान पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 8 या अध्याय 16 (धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 377 के सिवाय) या अध्याय 17 या अध्याय 22" रखें

(vi) खंड (छ) के पश्चात् अंतःस्थापित करें:-

"(छछ) 'साहूकारी अपराधी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में यथा लागू साहूकारी अधिनियम के अध्याय 9 या ऐसा साहूकार या साहूकार द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जो ऋण के किसी भाग या उस पर के ब्याज या उस पर की किसी किश्त को एकत्र करने के प्रयोजन के लिए या ऋण संव्यवहार से संसक्त किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को लेने के लिए या ऋण की रकम या उस पर के ब्याज की पूर्णतः या भागतः वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध सीधे या अन्यथा या अन्य व्यक्ति के माध्यम से शारीरिक हिंसा करता है या करने की धमकी देता है;"

(vii) खंड (ज) के पश्चात् अंतःस्थापित करें.

"(जज) 'लैंगिक अपराधी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 46) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, 354ग, 354घ, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ या 377 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अधीन दंडनीय के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है अथवा उत्प्रेरण करता है;"

(viii) खंड (झ) के स्थान पर रखें-

"(झ) अप्राधिकृत अवसंरचना" से किसी क्षेत्र में उस अधिकारी या प्राधिकारी जो दादरा और नागर हवेली भू - राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1971 का 2), गोवा, दमण और दीव भू - राजस्व संहिता 1968 (1969 का 9), दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 2012 (2012 का 5) दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012 (2012 का 4), दमण और दीव नगरपालिका (संशोधन) विनियम, 1994 (1994 का 6), दादरा और नागर हवेली नगर परिषद विनियम, 2004 (2004 का 2), दमण और दीव को यथा लागू और दादरा और नागर हवेली पर यथा विस्तारित, गोवा, दमण और दीव शहरी और नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1974 (1975 का 21) तथा उसके अधीन विरचित विकास नियंत्रण नियमों और दादरा और नागर हवेली भूमि सुधार विनियम, 1971 (1971 का 3) के अधीन अपेक्षित या ऐसे क्षेत्रों में तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अनुसार के सिवाय अधिकारिता रखते हैं, की अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना संनिर्मित कोई अवसंरचना अभिप्रेत है;"

4. धारा-3 उपधारा (4) में "शराब तस्कर" के पश्चात् "सामान्य गैमिंग गृह स्वामी, कूर व्यक्ति" "और अनैतिक व्यापार अपराधी या संपत्ति हथियाने वाला" के पश्चात् "साइबर अपराधी या साहूकारी अपराधी या लैंगिक अपराधी" अंतः स्थापित करें।

5. धारा- 4 - शीर्ष से "1974 का 2" का लोप करें।

10. गुजरात (नागरिकों का लोक सेवाओं का अधिकार) अधिनियम, 2013

(2013 का 16)

1. मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्ष "2013" के पश्चात् "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के उपांतरणों के साथ यथा अंगीकृत" अंतःस्थापित करें।

2. मूल अधिनियम में सभी स्थानों धारा 2 के खंड (i) के उपखंड (iii), उपखंड (iv) के मद (ग) और (ङ) और धारा 15 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के सिवाय "राज्य" के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

3. धारा- 1. उपधारा (2) में "गुजरात राज्य" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

4. धारा 2 में:-

(i) खंड (i) के उपखंड (iv) में, (क) मद (ग) में, "गुजरात राज्य" के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

(ii) मद (घ) में, "धारा 617" के स्थान पर "धारा 2 का खंड (45)" और "1956" के स्थान पर "2013" रखें।

(iii) खंड (ट) के स्थान पर रखें-

(ट) "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के नेतृत्व में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।

5. धारा 6.- उपधारा (1) में "तालुका स्तर, नगर निगम, नगरपालिका" के स्थान पर "नगर परिषद" रखें।

6. धारा 16.- उपधारा (1) में "मुख्य सचिव" के स्थान पर "राज्य" रखें।

7. धारा 29.- उपधारा (3) और उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

8. धारा 30.- उपधारा (2) का लोप किया जाएगा और उपधारा (1) को धारा 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

[फा.सं. यू.-11025/8/2020-यू.टी.एल.]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Union Territory Division)

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 234(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, namely:—

- Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Law, State Laws and Presidential Regulations) Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- The General Clauses Act, 1897(10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.
- On and from the date of publication of this Order, the Acts and Regulations mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule annexed to this Order, or if it is so directed, shall stand repealed.
- Where this Order requires that in any specified section or other portion of Act or Regulation, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.
- The provisions of this Order which adapt or modify or repeal a State Law or any Regulation so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any

powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 26th day of January, 2020; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance, with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The omission or amendment of any section or provision of Act or Regulation or repeal of any Law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

- (a) the previous operation of any such section or provision or Regulation or Law so omitted or amended or repealed or anything duly done or suffered thereunder;
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any such section or provision so omitted or repealed;
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any section or provision so omitted or repealed; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 or this Order had not come into force.

(2) Subject to the provisions contained in sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, from, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such Law or Regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Laws now extended and applicable to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Laws now extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

SCHEDULE

(See paragraph 3)

STATE LAW

1(A). THE BOMBAY HOME GUARDS ACT, 1947 (3 OF 1947)

[as applicable to the erstwhile Union territory of Daman and Diu].

Repeal as a whole.

1(B). THE BOMBAY HOME GUARDS ACT, 1947

(3 of 1947)

(as extended to erstwhile Union Territory of Dadra and Nagar Haveli)

1. In the Principal Act, in the long title, in sub-section (2) of section 1, in section 1A, in sub-section (1) and (3) of section 2 and in sub-section (2) of section 4, after “Haveli” wherever it occurs, insert “and Daman and Diu”.

2. In Preamble, for “State of Bombay” substitute “Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu”.

3. **Section 2.** — In sub-section (1), after “property” insert “the maintenance of essential services”.

4. **Section 6A.** — In sub-section (2), for “1898 (5 of 1898)” substitute “1973 (2 of 1974)”.

5. **Section 6B.** —

(i) in sub-section (1), for “fifty” substitute “one thousand”;

(ii) in sub-section (6), for “1898 (5 of 1898)” substitute “1973 (2 of 1974)”.

6. Section 7. —

(i) in sub-section (1), for “two hundred and fifty” substitute “five thousand”;

(ii) in sub-section (1A), for “one hundred” substitute “two thousand”.

2(A). THE GOA, DAMAN AND DIU CIVIL COURTS ACT, 1965 (19 of 1965)

Repeal as a whole.

2(B) The DADRA AND NAGAR HAVELI (CIVIL COURTS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) REGULATION, 1963

(8 of 1963)

1. In the Principal Regulation, in the long title, in the preamble, in the short title, in sub-section (2) of section 1, in section 2, in section 3, in sub-section (4) of section 5 and in section 12, after “Haveli”, wherever it occurs, insert “and Daman and Diu”.

2. **Section 11.** - In sub-section (1), omit “, New Year’s Day, Good Friday and Christmas Day”.

3. THE GOA, DAMAN AND DIU DRAMATIC PERFORMANCES ACT, 1969

(3 OF 1970)

1. In the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title and sub-section (2) of section 1, for “Goa,” substitute “Dadra and Nagar Haveli and”.

2. **Section 2.** — For clause (1) and (2), the following clauses shall be substituted, namely: —

“(1) “High Court” means the High Court of Judicature at Bombay,

(2) “Government” means the Union Territory Administration headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.”.

3. **Section 13.**— Omit sub-section (2), and re-number sub-section (1) as section 13.

4(A). THE INDIAN FISHERIES ACT, 1897 (4 OF 1897)

Repeal as a whole.

4(B). THE INDIAN FISHERIES (GOA, DAMAN AND DIU AMENDMENT NO. 1) ACT, 1970

(11 of 1970).

Repeal as a whole.

4(C) THE KERALA INLAND FISHERIES AND AQUACULTURE ACT, 2010

(15 of 2010)

1. In the principal Act, in the long title after “2010” insert “as adapted with modification in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu”.

2. Throughout the principal Act, for “State” substitute “Union Territory” and for “Kerala” substitute “Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu”.

3. Section 2.—

(i) after clause (p), the following clause shall be Inserted, namely: —

“(pa) “Government” means Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution”;

(ii) in clause (t), for “section 4 of the Kerala Panchayat Raj Act, 1994 (13 of 1994) or a Municipality constituted under section 4 of the Kerala Municipality Act, 1994 (20 of 1994)”, substitute “the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 or a Municipality constituted under the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004”;

(iii) in clause (x), for “section 218 of the Kerala Municipality Act, 1994 or under section 208 (a) of the Kerala Panchayat Raj Act, 1994” substitute “the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004 and the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012”.

4. Section 25 — Omit “proviso”.

5. Section 41. —

(1) In sub-section (2),-

(i) in clause (a), for “Minister for Fisheries” substitute “Advisor to Administrator”;

(ii) in clause (b), for “three members of the Legislative Assembly of whom one shall be a woman” substitute “two members of Parliament”;

(iii) in clause (j), Omit “Kerala State”.

(2) In sub-section (3), for “Legislative Assembly” substitute “Parliament” and for “Minister in charge of Fisheries department” substitute “Advisor to Administrator”.

6. Section 44. — Omit sub-section (2) and re-number sub-section (1) as section 44.

7. Section 46. — Omit section 46.

5. THE GOA, DAMAN AND DIU HABITUAL OFFENDERS ACT, 1976

(16 of 1976).

1. In the Principal Act, in the long title, in the short title, in sub-section (2) of section 1, proviso to sub-section (1) of section 7, sub-section (1), proviso to sub-section (2) and sub-section (3) of section 8, and sub-section (1) of section 14 for “Goa,” wherever it occurs, substitute “Dadra and Nagar Haveli and”.

2. Section 2. —

(i) in clause (c), after “1968” insert “and section 3 of the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971”;

(ii) in clause (d), for “District of Goa, the District Magistrate of Goa, or, in relation to the District of Daman or Diu” substitute “Districts of Dadra and Nagar Haveli, Daman or Diu, the respective District Magistrates or”;

(iii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

“(e) “Government” means the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by President under article 239 of the Constitution”.

3. Section 17. — In sub-clauses (i) and (ii) of clause (d), for “hundred” substitute “thousand”.

4. Section 20. — In clause (b), for “one” substitute “ten”.

5. Section 21. — For “hundred” substitute “thousand”.

6. Section 25. —

(i) in sub-section (3), for “hundred” substitute “thousand”;

(ii) omit sub-section (4).

7. Section 26. —

(i) omit sub-section (2). (ii) For sub-section (1), re-number sub-section (1) as section 26. (iii) For Section 26, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that such repeal shall not affect—

(a) the previous operation of any Act so repealed or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any Act so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any Act so repealed;

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Principal Act had not been passed:

Provided further that, subject to the preceding proviso, anything done or any action taken (including orders or rules made, notices issued and settlements established or approved) under any Act so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Principal Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Principal Act, and shall continue in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Principal Act.

6(A).THE WEST BENGAL PREVENTION OF DEFAACEMENT OF PROPERTY ACT, 1976

(21 of 1976)

[as applicable to the erstwhile Union territory of Daman and Diu].

Repeal as a whole.

6(B). THE WEST BENGAL PREVENTION OF DEFAACEMENT OF PROPERTY ACT, 1976

(21 of 1976)

(as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli)

1. In the Principal Act, in the long title, in sub-section (2) of section 1 and clause (a) of section 2, after “Haveli”, wherever it occurs, insert “and Daman and Diu”.

2. Section 2. —

(i)for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“property” includes any building, hut, monument, statue, water pipe line, public road, structure, wall including compound wall, tree, fence, post, pole or any other erection except at specified places”;

(ii)after clause(b), the following clause shall be Inserted, namely:—

“(bb) ‘public view’ means anything which is visible to public while they are in or passing along any public place.”

3. Section 3. — For sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“Whoever defaces any property in public view by defacing or spitting or urinating or pasting pamphlets, posters or writing or marking with ink, chalk, paint or any other material or method except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.”.

4. Insertion of section 5A. —After section 5, the following section shall be inserted, namely:—

Indemnity. “5A. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government, any local authority or person for anything which is in good faith or in public interest done or intended to be done under this Act.”.

7(A).THE GOA, DAMAN AND DIU PRESERVATION OF TREES ACT, 1984

(6 OF 1984)

[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].

Repeal as a whole.

7(B). THE GOA, DAMAN AND DIU PRESERVATION OF TREES ACT, 1984 (6 of 1984).

[as applicable to the erstwhile Union territory of Daman and Diu].

1. In the Principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title, in sub-section (2) of section 1, in clause (c) of section 2 and in sub-section (1) of section 3, for “Goa,” substitute “Dadra and Nagar Haveli and”.

2. Section 2. —

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(bb) “Commercial Plantation” means the plantation of trees grown for commercial purpose on private non – forest land,”;

(ii) for the clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

“(e) “Government” means the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed under article 239 of the Constitution,”;

(iii) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—

“(j) “tree” means any wooden plant whose branches spring from and are supported upon the trunk or the body and which trunk or body is not less than five and a half centimetres in diameter and not less than one meter in height from the ground level and includes coconut palm, bamboos, stumps brushwood, canes and seedlings of such tree,”.

3. Section 3. — In clause (iii) of sub-section (2), for “Legislative Assembly” substitute “District Panchayat”.

4. Section 5. — For “an Assistant” substitute “a Deputy”.

5. Insertion of section 7A. — After section 7, the following section shall be Inserted, namely:—

Declaration of State Tree.	“7A. The Government may having regard to ecological, socioeconomic, cultural or heritage value, declare a tree to be a State tree.”
-------------------------------	---

6. Insertion of section 8A. — After section 8, the following Section shall be inserted, namely:—

Removal of Coconut Palm.	“8A. Any person desirous of removing old, unyielding coconut palm to replace the same with new ones, or removal of coconut palm which are likely to cause damage to life or property, may apply to Agriculture Officer, having jurisdiction of area, who shall deal with the same in such manner as may be prescribed.”.
--------------------------------	--

7. Section 9. —

(i) in sub-section (1), for “1.85” substitute “1”;

(ii) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

(5) “Every permission granted under this Act shall be in such form and subject to such conditions, including charging of a tree felling fee and taking of security deposit for ensuring regeneration of the area and re-plantation of trees or otherwise, as may be prescribed.”.

8. Section 10. — For Section 10, the following section shall be substituted, namely:—

Obligation to plant trees.	“10. Every person, who is granted permission under section 9 of this Act to fell or dispose off any tree, as specified in clause (j) of section 2 of this Act, shall be bound to plant or replant such number and kind of trees in the area from which the tree is felled or disposed off by him under such permission, as may be directed by the Tree Officer.”.
-------------------------------	---

9. Insertion of section 12A. — After section 12, the following section shall be inserted, namely: —

Removal of trees, etc., which are in ruinous state or likely to fall.	“12A.(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the Tree Officer or the Deputy Collector having jurisdiction over their respective areas, if it appears to him at any time that any tree, including coconut tree, over any land or its branch or a part thereof is in ruinous state or is in such condition that it is likely to fall and thereby cause injury to a person living or carrying on business in the neighbourhood or passerby or to a building or house or any public place, he may, by written order require the person owning or possessing such tree to lop or cut down such tree or portion of a tree, which is in such condition that it is likely to fall and thereby cause injury to persons living or carrying on business in the neighbourhood or passing by:
--	--

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the owner or occupier of land has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter in person or by his agent in support of his objections:

Provided further that where the Tree Officer or the Deputy Collector in consultation with the Tree Officer is of the opinion that there is likelihood of the

tree or any portion thereof falling and causing injury or danger to persons and danger is of hourly imminence and it is not expedient to provide opportunity to file objection, he may, for reasons to be recorded in writing, issue order directing the person owning or possessing such tree, to cut down and remove such tree or any portion thereof forthwith or within the time as fixed in the order and if he fails to do so the Tree Officer or the Deputy Collector, as the case may be, shall take all necessary steps towards its removal.

(2) Every order required to be issued under sub-section (1) shall be deemed to have been duly served, —

(i) where the person to be served is residing in the house, at the place of his residence or in case of company, if order is addressed in the name of company, at its registered office or at its principal office or place of business and is either, —

(a) sent by registered post; or

(b) delivered at its registered office or at its principal office or place of business; or

(c) is given or tendered to him; or

(d) if such person cannot be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed at some conspicuous part of structure or tree or building, if any, to which it relates.

(3) Whoever fails to comply with any directions issued under sub-section (1) within a period as specified in the said order, the Tree Officer or the Deputy Collector appointed by the Government in this behalf, shall take all reasonable steps to cut, or remove such tree or any portion thereof which causes obstruction or nuisance or is likely to endanger life or property of any person, to remove the same at the cost and charges of the owner or occupier of the land or of the tree and all expenses incurred thereof shall be recovered as arrears of land revenue under the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (9 of 1969) or the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971, as the case may be and the rules framed there under."

10. Section 15. —

(i) in sub-section (1), after "officer" insert "or the Deputy Collector, as the case may be," and for "and 12" insert "12 and 12 A";

(ii) in sub-section (2), for "of rupees ten" substitute "as may be prescribed by the Government from time to time".

11. Section 22. — In sub-clause (i), clause (a) of sub-section (1), for "ten" insert "twenty-five".

12. Section 25. — In sub-section (1), for the word "thousand" substitute "lakh".

13. Insertion of section 32A. — After section 32, the following section shall be inserted, namely :—

Powers of
Government in
respect of
Commercial
Plantation.

"32A. The Government may, by notification in the Official Gazette, specify the terms and conditions for carrying out commercial Plantation in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and exempt such areas from the provision of this Act."

14. Section 34. For Section 34, the following section shall be substituted, namely :—

Transit of felled
material.

"34. The provisions of sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927) shall *mutatis mutandis*, apply to the transit of the felled trees under this Act."

15. Insertion of sections 35A and 35B. — After section 35, the following section shall be inserted, namely :—

Constitution of tree protection fund. “**35A.**(1) There shall be constituted a fund to be called the Tree Protection Fund and the following amount shall be paid into and form part of the fund, namely: —

(i) all Government grants, donations from company or institutions, fees, charges received by the Tree Officer;

(ii) all proceeds of the disposal of tree, if any, received by the Tree Officer;

(iii) all sums collected by the Tree Officer from such other source as may be decided by the Government.

(2) The funds shall be applied for meeting all expenses incurred by the Tree Officer or the Deputy Collector exercising the power under section 12A, as the case may be, in connection with discharge of his functions under this Act.

Account and Audit. **35B** (1) The Tree Officer and the Deputy Collector exercising the power under section 12A of this Act shall prepare account and other relevant records and prepare an annual statement of account in such form as may be prescribed by the Government in consultation with the Director of Accounts, Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. The account maintained under this section shall be audited by the Directorate of Accounts, Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu at such intervals as may be specified by the Government and any expenditure incurred in connection with such audit, shall be payable by the Tree Officer to the Directorate of Accounts from the fund so created under section 35A.

(2) The Account of Tree Protection Fund as certified by the Directorate of Accounts or any other person appointed by it in this behalf, together with audit report thereon, shall be forwarded annually to the Government.”.

8. THE MADHYA PRADESH KOLAHAL NIYANTARAN ADHINIYAM, 1985

(1 of 1986).

(as extended to erstwhile Union Territory of Dadra and Nagar Haveli)

1. In the principal Act, in the long title after “1986)” insert “as adapted with modification in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu”.

2. In the Preamble of the Principal Act, for “State of Madhya Pradesh” substitute “Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu”.

3. Section 1.— In sub-section (2), after “Haveli” insert “and Daman and Diu”.

4. Section 2.— In clause (a) of section 2, after “Haveli” insert “and Daman and Diu”.

5. Section 11.— In sub-section (1) for “exhaust” substitute “exhaust”.

6. Section 14.— For section 14, the following section shall be substituted, namely :—

Offences to be cognizable. “**14.** Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), an offence punishable under this Act shall be cognizable.”.

7. Section 15. — In sub-section (1), for “one” substitute “Five”.

8. Section 16. — In sub-section (3), for “five hundred” substitute “two thousand”.

9(A). THE GUJARAT PREVENTION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES ACT, 1985

(16 of 1985)

(as applicable to the erstwhile Union territory of Daman and Diu)

Repeal as a whole.

9(B). THE GUJARAT PREVENTION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES ACT, 1985
(16 of 1985)

(as extended to erstwhile Union Territory of Dadra and Nagar Haveli)

1. In the principal Act, in the long title, in sub-section (2) of section 1, in clause (a) of section 2, in section 4, in clause (b) of section 5, clause (a) and (b) of section 7, sub-section (1) of section 8 and section 18, after “Haveli” wherever it occurs, insert “and Daman and Diu”.

2. In the Preamble. —

(i) for “PREVENTION” substitute “PREVENTIVE”

(ii) after “BOOTLEGGERS,” insert “COMMON GAMING HOUSE KEEPERS, CRUEL PERSONS;

(iii) for “immoral traffic offenders and property grabbers”, substitute “immoral traffic offenders, property grabbers, cyber offenders, money lending offenders and sexual offenders”.

3. Section 2. — In clause (b), —

(i) for “Dadra and Nagar Haveli Excise Duty Regulation, 1969 (2 of 1969)” insert “Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Excise Duty Act, 1964 (5 of 1964)”;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

“(bb) “common gaming house keeper” means a person who, commits or attempts to commit or abets the commission of an offence punishable under the Prevention of Gambling Act, applicable in Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu,”;

(iii) after clause (bb), the following clause shall be inserted, namely :—

“(bbb) “cruel person” means a person, who either by himself or as a member or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of an offence punishable under the Animal Preservation Act applicable in Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu,”;

(iv) after clause (bbb), the following clause shall be inserted, namely :—

“(bbbb) “cyber offender” means a person who commits or attempts to commit or abets the commission of offence punishable under Chapter XI of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)”;

(v) in clause (c) for “Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code”, substitute Chapter VIII or Chapter XVI (except sections 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376-A, 376-B, 376-C, 376-D, or 377) or Chapter XVII or Chapter XXII of the Indian penal code (45 of 1860);

(vi) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :—

“(gg) “money lending offender” means a person, who commits or attempts to commit or abets the commission of offences under Chapter IX of the Money Lenders Act applicable in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu or a money lender or any person engaged by the money lender or someone acting on his behalf, who uses or threatens to use physical violence directly or otherwise or through any person against any person for the purpose of collecting any part of the loan or interest thereon or any installment thereof or for taking any movable or immovable property connected with the loan transaction or the realization of whole or part of the loan amount or interest thereon”;

(vii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :—

“(hh) “sexual offender” means a person, who commits or attempts to commit or abets the commission of any offence punishable under sections 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, or 377 of the Indian Penal code (45 of 1860) or the protection of children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012),”;

(viii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely :—

(h)(i) “unauthorised structure” means any structure constructed in any area without express permission in writing of the officer or authority having jurisdiction in such area required under the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971 (2 of 1971), the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (9 of 1969), the Dadra and Nagar Haveli Panchayat Regulation, 2012 (5 of 2012), the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (4 of 2012), the Daman and Diu Municipalities (Amendment) Regulation, 1994 (6 of 1994), the Dadra and Nagar Haveli Municipal Council Regulation, 2004 (2 of

2004), the Goa Daman and Diu Town & Country Planning Act, 1974 (21 of 1975) as applicable in Daman and Diu and as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Development Control Rules framed thereunder, Dadra and Nagar Haveli Land Reforms Regulation, 1971 (3 of 1971), or except in accordance with any other law for the time being in force in such area;’.

4. Section 3. — In sub-section (4), after “bootlegger,” insert “common gaming house keeper, cruel person,” and after “immoral traffic offender or property grabber”, insert “cyber offender or money lending offender or sexual offender”.

5. Section 4.— Omit “2 of 1974” from the title.

10. THE GUJARAT (RIGHT OF CITIZENS TO PUBLIC SERVICES) ACT, 2013

(16 of 2013)

1. In the principal Act, in the long title after “2013)” insert “as adapted with modification in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu”.

2. Throughout the principal Act, except in sub-clause (iii), items (c) and (e) of sub-clause (iv) of clause (i) of section 2 and the second proviso of sub-section (3) of section 15 for “State” substitute “Union Territory”.

3. Section 1. — In sub-section (2), for “State of Gujarat” substitute “Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu”.

4. Section 2. —

(i) in sub-clause (iv) of clause (i), (a) in item (c), for “State of Gujarat” substitute “Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu”;

(ii) in item (d), for “section 617” substitute “clause (45) of section 2” and for “1956” substitute “2013”

(iii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely :—

“(k) “State Government” means the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.

5. Section 6. — In sub-section (1), for “and taluka levels, municipal corporations, municipalities” substitute “municipal councils,”.

6. Section 16. — In sub-section (1), For “Chief Secretary to the” substitute “State”

7. Section 29. — Omit sub-sections (3) and sub-section (4).

8. Section 30. — Omit sub-section (2) and re-number sub-section (1) as section 30.

[F.No. U-11025/8/2020-UTL]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.